कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक,

वन विभाग (कक्ष वन–भू अभिलेख) सतपुड़ा भवन , भोपाल मध्य प्रदेश

क्रमांक / वन–भू/एफ–6/ 375   भोपाल/ दिनांक 16/3/07

प्रति,

समस्त वन संरक्षक (क्षेत्रीय)

एवं समस्त वनमंडलाधिकारी (सामान्य)

मध्य प्रदेश

विषय : दिनांक 24.10.80 के पूर्व के अपात्र घोषित एवं छूट गये अतिक्रामकों के दावों के निराकरण होने तक वन भूमि से बेदखल न करने बावत् ।

संदर्भ : वन विभाग के विभागाध्यक्ष कार्यालय (संरक्षण कक्ष) का पत्र क्रमांक /एफ–8 /2005/10–10/837 दिनांक 20.04.06 .

––0––

इस कार्यालय से जारी संदर्भ में अंकित पत्र द्वारा वन भूमि पर हुए अतिक्रमण की बेदखली के संबंध में स्पष्ट निर्देश प्रसारित किये गये हैं। परन्तु जन प्रतिनिधियों के विधान सभा प्रश्नों एवं पत्रों के माध्यम से कतिपय स्थलों पर निर्देशों का गंभीरता से पालन न कर पुराने अतिक्रमणों को बेदखल करने की जानकारी प्रकाश में आयी है ।

राज्य शासन द्वारा वन भूमि पर वर्ष 1994 – 95 में वन एवं राजस्व विभाग के द्वारा संयुक्त सर्वेक्षण में पाये गये अपात्र अतिक्रामकों, सर्वेक्षण से छूटे हुए 24.10.80 के पूर्व के अतिक्रामकों एवं राजस्व विभाग द्वारा वन भूमि को राजस्व भूमि मानते हुए दिये गये पट्टेधारियों के प्रकरणों के निराकरण हेतु प्रत्येक जिला स्तर पर समिति का गठन किया गया था । उक्त समिति के समक्ष दावा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 30.12.06 निर्धारित की गई थी ।

इस विषय में पुनः स्पष्ट किया जाता है कि शासन द्वारा निर्धारित उपरोक्त व्यवस्था के अन्तर्गत वन भूमि के अतिक्रमण बेदखली की कार्यवाही में संदर्भ में अंकित कार्यालयीन पत्र दिनांक 20.04.06 के अन्य निर्देशों के अतिरिक्त निम्न बिन्दुओं का पूर्ण गंभीरता से पालन सुनिश्चित किया जाये:–

1. वन भूमि पर नये अतिक्रमण नहीं होना चाहिए तथा यदि अतिक्रमण के प्रयास किये जाते है तो उन्हें नियमानुसार कार्यवाही कर विफल किया जावे । इसके लिए स्थानीय जिला एवं पुलिस प्रशासन से तालमेल रखकर आवश्यक मदद ली जाना चाहिए ।
2. 24.10.80 के पूर्व के अपात्र घोषित , छूट गये आवेदकों के अतिक्रमण तथा वन–राजस्व भूमि की सीमा पर विवादित अतिक्रमणों को वन विभाग एवं राजस्व विभाग की संयुक्त सीमांकन की कार्यवाही उपरान्त जिला स्तरीय समिति के अंतिम निर्णय के बाद ही बेदखल किया जाना चाहिए ।

(सतीश त्यागी)

मुख्य वन संरक्षक (वन–भू अभिलेख)

मध्य प्रदेश भोपाल

पृ/क्र/वन–भू/एफ–6/ 376 भोपाल/ दिनांक 16/3/07

प्रतिलिपि : 1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्यप्राणी मध्य प्रदेश भोपाल

2. समस्त अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक /मुख्य वन संरक्षक मध्य प्रदेश

की ओर सूचनार्थ प्रेषित । पूर्व प्रसारित पत्र दिनांक 20.04.06 की प्रति संदर्भ हेतु संलग्न सम्प्रेषित है ।

संलग्न : उपरोक्तानुसार ।

मुख्य वन संरक्षक (वन–भू अभिलेख)
मध्य प्रदेश भोपाल